रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D.)-72

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 331] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 11, 1980/आषाढ़ 20, 1902
No. 331] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 11, 1980/ASADHA 20, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 1980

का०आ० 540(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

आदेश

डा० टी० के० कोदण्डाराम, संयोजक, दलित जाति संघर्ष समिति तथा श्री टी० के० दीनदयालू, सचिव, इण्डियन काउंसिल फार रूल आफ ला, हैदराबाद ने लोक सभा के कतिपय आसीन सदस्यों के विरुद्ध एक अर्जी दी थी। इस अर्जी में यह अभिकथन किया गया था कि ये सदस्य संविधान के अनुच्छेद 102 के अधीन निरर्हित हो गए हैं।

राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन निर्वाचन आयोग को उक्त अर्जी के संबंध में, यह निदेश दिया था कि क्या संबंधित सदस्य संविधान के अनुच्छेद 102 में वर्णित निरर्हताओं में से किसी निरर्हता का भागी हो गया है/कि भागी हो गए हैं।

निर्वाचन आयोग ने अपनी यह राय दी है (देखिए उपाबंध) कि यह अर्जी संविधान के अनुच्छेद 103 के क्षेत्र में नहीं आती है:

अतः मैं, नीलम संजीव रेड्डी, भारत का राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 103 द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार यह विनिश्चय करता हूं कि यह अर्जी उक्त अनुच्छेद के क्षेत्र में नहीं आती है।

नीलम संजीव रेड्डी,
भारत का राष्ट्रपति

राष्ट्रपति भवन
नई दिल्ली, 29 जुलाई, 1980

उपाबंध

भारत निर्वाचन आयोग

भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष

(1980 का निर्वेश मामला सं० 3)

डा० टी० के० कोदण्डाराम, संयोजक, दलित जाति संघर्ष समिति और श्री टी० के० दीनदयालू, सचिव, इण्डियन काउंसिल फार रूल आफ ला, हैदराबाद की लोक सभा के कुछ सदस्यों की अभिकथित निरर्हता के संबंध में तारीख 5 अप्रैल, 1980 को अर्जी के मामले में

राय

भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त वर्तमान निर्देश में जो संक्षिप्त प्रश्न विचारार्थ उठा है वह यह है कि क्या डा० टी० के० कोदण्डाराम, संयोजक, दलित जाति संघर्ष समिति और श्री टी० के० दीनदयालू, सचिव, इण्डियन काउंसिल फार रूल आफ ला की लोक सभा के कुछ आसीन सदस्यों की अभिकथित निरर्हता के संबंध में तारीख 5 अप्रैल, 1980 की अर्जी भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के क्षेत्र के अन्तर्गत आती है।

अर्जी में अभिकथन किया गया है कि लोक सभा के ऐसे सभी निर्वाचित सदस्यों ने जो कांग्रेस (आई) के हैं अपने निर्वाचन अभियान के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं की हैं और इस प्रकार वे संविधान के अनुच्छेद 102(1) के अधीन निरर्हित हैं:

1. अपने निर्वाचन अभियान के दौरान कांग्रेस (आई) के सभी अभ्यर्थियों ने राष्ट्रीय ध्वज "अशोक चक्र" के स्थान पर अपने

निर्वाचन प्रतीक "हाथ" को प्रतिस्थापित किया और ऐसे राष्ट्रीय ध्वज को अपने कार्यालयों, गाड़ियों, स्वयं सेवकों के बैजों आदि पर फहराया । इस प्रकार उन्होंने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(3) के अधीन भ्रष्ट आचरण किया,

2. कांग्रेस (आई) के अभ्यर्थियों के निर्वाचन को सुकर बनाने के लिए निर्वाचक नामावलियों में धांधली की गई और इस प्रकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 30 के अधीन अपराध किया है, और

3. कांग्रेस (आई) के अभ्यर्थियों के निर्वाचन अभियान का वित्त पोषण करने के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए का रूसी सोना बेचा गया और लगभग 60 करोड़ रुपए स्विटजर लैंड के बैंक से निकाले गए और इस प्रकार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171-ज के अधीन अपराध किया गया ।

उक्त अभिकथनों से यह स्पष्ट है कि जिन कार्यों के किए जाने और न किए जाने का अभिकथन किया गया है वे यदि किए गये हैं और यदि वे निरर्हता संबंधी निर्वाचन विधि के किसी उपबन्ध के अधीन आते हैं तो वे उन सदस्यों द्वारा जिनका हवाला ऊपर दिया गया है, अपने निर्वाचन अभियानों के दौरान अर्थात् लोक सभा के सदस्य के रूप में उनके निर्वाचन से पूर्व किए गए थे । अर्जी में ऐसा कोई प्रकथन नहीं है कि उन्होंने लोक सभा के सदस्य बन जाने के पश्चात् ऐसी कोई अनियमितता की है जिसको निरर्हता संबंधी विधि के उपबन्ध लागू होते हैं । यह सुस्थापित विधि है कि संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन राष्ट्रपति और निर्वाचन आयोग की अधिकारिता केवल उन्हीं निरर्हताओं के संबंध में उत्पन्न होती है जिनके भागी संसद सदस्य केवल ऐसे सदस्य हो जाने के पश्चात् होते हैं ।

ऊपर जो कुछ कहा गया है उसको दृष्टि में रखते हुए मेरी राय है और तदनुसार मैं अभिनिर्धारित करता हूं कि वर्तमान अर्जी संविधान के अनुच्छेद 103 के क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आती है और वह इस के द्वारा उक्त आशय की राय के साथ राष्ट्रपति को लौटाई जाए और लौटाई जाती है ।

नई दिल्ली,
मई 9, 1980

एस० एस० शकधर,
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त
[सं० एफ० 7(26)/80-वि० II]

एस० रामय्या,
संयुक्त सचिव और विधायी कौंसेल

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 1980

S.O. 540(E).—The following order made by the President is published for general information :—

ORDER

Whereas a petition has been filed by Dr. T. K. Kothandaram, Convener, Dalithajathi Sangharsha Samithi and Shri T. K. Deenadayalu, Secretary, Indian Council for Rule of Law, Hyderabad, against certain sitting members of the House of the People alleging that those members have become subject to disqualification under article 102 of the Constitution ;

And whereas a reference has been made by the President to the Election Commission with reference to the said petition under article 103 of the Constitution as to whether the member(s) concerned has/have become subject to any of the disqualifications mentioned in article 102 of the Constitution ;

And whereas the Election Commission has given its opinion (vide Annexure) that the petition does not fall within the purview of article 103 of the Constitution ;

Now, therefore, I, Neelam Sanjiva Reddy, President of India, in exercise of the powers conferred on me by article 103 of the Constitution do hereby decide, in accordance with the opinion of the Election Commission, that the petition does not fall within the purview of the said article.

Rashtrapati Bhavan,
New Delhi,
The 29th June, 1980.

NEELAM SANJIVA REDDY,
President of India

ANNEXURE

ELECTION COMMISSION OF INDIA

BEFORE THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

(Reference Case No. 3 of 1980)

In re : Petition dated the 5th April, 1980 of Dr. T. K. Kothandaram, Convener, Dalithajathi Sangharsha Samithi and Shri T. K. Deenadayalu, Secretary, Indian Council for Rule of Law, Hyderabad, regarding the alleged disqualification of certain Members of the House of the People.

OPINION

The short question which arises for consideration on the present reference from the President of India is whether the petition dated the 5th April, 1980, submitted to him by Dr. T. K Kothandaram, Convener, Dalithajathi Sangharsha Samithi and Shri T. K. Deenadayalu, Secretary, Indian Council for Rule of Law, regarding the alleged disqualification of certain sitting members of the House of the People falls under the purview of article 103 of the Constitution of India.

In the Petition it is alleged that all the elected members of Lok Sabha who belong to Congress (I) committed following irregularities during their election campaign and are thus disqualified under article 102(1) of the Constitution :—

1. During their election campaign all the Congress (I) candidates replaced the 'Ashoka Chakra' in the National Flag with their election symbol of 'Hand' and hoisted such National Flags on their election offices, vehicles, volunteers' badges, etc. Thus they have committed a corrupt practice under section 123(3) of the Representation of the People Act, 1951;
2. The electoral rolls were bungled to facillitate the election of Congress (I) candidates and thus an offence under section 30 of the Representation of the People Act, 1950, has been committed; and
3. Russian gold worth about Rs. 500 crores was sold and that about Rs. 60 crores was withdrawn from Swiss Bank to finance the election campaign of the Congress (I) candidatey and thus an offence under section 171-H of I.P.C. has been committed.

It is apparent from the above allegations that the alleged acts of commission and omission, if committed at all and if hit by any of the provisions of the election law relating to disqualification, were resorted to by the members under reference during their electioncering campaigns i.e., prior to their election as Members of the Lok Sabha. There is no averment in the petition that they have committed any irregularity attracting the provisions of law relating to disqualification after their having become Members of the Lok Sabha. It is well settled law that the jurisdiction of the President and the Election Commission under article 103 of the Constitution arises only in respect of those disqualifications to which the Members of Parliament become subject only after their becoming Members as such.

In view of the above, I am of the opinion and accordingly hold that the present petition does not fall within the purview of article 103 of the Constitution and the same be and is hereby returned to the President with the opinion to the above effect.

New Delhi, the 9th May, 1980.

S. L. SHAKDHER,
Chief Election Commissioner of India
[No. F. 7(26)/80-Leg. II]

S. RAMAIAH,
Jt. Secy. and Legislative Counsel

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980